वैदिक उपासना पीठद्वारा प्रकाशित

गुरुवार, आषाढ कृष्ण पक्ष, सप्तमी, कलियुग वर्ष ५१२३ (१ जुलाई, २०२१)

वैदिक उपासना

राष्ट्र एवं धर्मके पुनरूत्थान हेतु समर्पित ऑनलाईन दैनिक वृत्त पत्र

धर्माचरण हेतु कष्ट उठाना, राष्ट्र हेतु समय देना एवं साधना हेतु त्याग करना, यह सनातन उपासना है।

e-mail : upasanawsp@gmail.com, website : www.vedicupasanapeeth.org.

आजका पंचांग

जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रं

१ जुलाई २०२१ का वैदिक पंचांग

कलियुग वर्ष – ५१२३ / विक्रम संवत – २०७८ / शकवर्ष - १९४३.....आजके पंचांगके सम्बन्धमें और जानकारी हेतु इस लिंकपर जाएं.....https://vedicupasanapeeth.org/hn/aaj-ka-panchang-01072021

गुरु वन्दना

नमोस्तु गुरुवे तस्मै, इष्टदेव स्वरूपिणे।
यस्य वाग्मृतम् हन्ति,विषं संसार संज्ञकम् ॥

अर्थ : उन गुरुदेव रूपी इष्टदेवको वन्दन है, जिसकी अमृत वाणी अज्ञानता रूपी विषको नष्ट कर देती है।

श्रीगुरु उवाच

कहां पाश्चात्य विचारधारा और कहां हिन्दू धर्म !

पाश्चात्य विचारधारा और शोधकार्य केवल सुखप्राप्तिके लिए होता है। मनुष्यकी सुखकी अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं होती; इसलिए अनेक शोधकर मानव अधिकाधिक दुःखी ही हो

रहा है । इसके विपरीत हिन्दू धर्म, ईश्वर प्राप्तिके लिए अर्थात चिरन्तन आनन्दकी प्रप्तिके लिए मार्गदर्शन करता हैं; इसलिए हिन्दू धर्मका पालन करनेवाला कभी दुःखी नहीं होता है । **- परात्पर गुरु डॉ. जयंत आठवले, संस्थापक, सनातन संस्था**

साभार : मराठी दैनिक सनातन प्रभात

(https://sanatanprabhat.org)

शास्त्र वचन

अन्यायात् समुपात्तेन दान धर्मो धनेन यः ।
क्रियते न स कर्तारं त्रायते महतो भयात् ॥

अर्थ : अन्यायसे प्राप्त किए हुए धनके द्वारा जो दानधर्म किया जाता है, वह कर्ताकी महान भयसे रक्षा नहीं कर पाता ।

****

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्
धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः ।
नित्यो धर्मः सुखदुःखे त्वनित्ये
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥

अर्थ : कामनासे, भयसे, लोभसे अथवा प्राण बचानेके लिए भी धर्मका त्याग न करें ! धर्म नित्य है और सुख-दुःख अनित्य । इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बन्धनका हेतु अनित्य ।

धर्मधारा

१. आरक्षण देश व कौशलपर भार है

यदि स्वतन्त्रताके समय ही आरक्षण जैसे विधानका आरम्भ नहीं किया गया होता, तो आज देशकी आरक्षणके

कारण यह दुर्दशा नहीं होती । समाजमें व्यक्तिको 'पद' सदैव उसके गुण और प्रतिभाके आधारपर मिलना चाहिए, न कि जन्मके आधारपर; हिन्दू राष्ट्रमें कहीं भी और किसी भी क्षेत्रमें कोई आरक्षण नहीं होगा । हमारे धर्म और संस्कृतिमें सदैव ही 'पद' योग्यता अर्थात गुण-कर्म अनुसार ही दिया गया है और इसी सनातन परम्पराको पुनर्स्थापित करनेकी आवश्यकता है, तभी समाजसे यह अराजकता समाप्त हो सकती है ।

****

२. कई बार गाय या बैल भी अनिष्ट शक्तियोंके कारण आक्रामक होते हैं । ऐसी स्थितिमें वे जहां रहते हैं, वहां सप्ताहमें एक बार नीमपत्तोंका एवं प्रतिदिन गुग्गुलका धूंआ करें ! साथ ही कष्टकी तीव्रता घटनेतक प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार जैसे आप अपने बच्चोंकी 'नमक', मिर्च और सरसोंसे दृष्टि उतारते हैं, वैसे ही उनकी दृष्टि उतारें ! साथ ही ऐसे पशुओंके गलेमें किसी विधि-विधानसे हुए यज्ञकी विभूति भी एक लाल सूती वस्त्रमें बांधकर गलेमें डाल सकते हैं । गोशालामें बांसुरीकी धुन लगाकर गायोंको सुनाएं, उसमें भगवान श्रीकृष्णका चित्र लगाकर नियमित पंचोपचार पूजन करें ! गोमाताकी भी पूजा करनेसे उनमें देवताका तत्त्व जाग्रत हो जाता है; इस हेतु उन्हें जूठन, प्याज-लहसुन, सडा-गला पदार्थ न खिलाएं !

****

३. सन्तकी आज्ञाका पालन प्राथमिकतासे करें !

साधको, जब सन्त कुछ आज्ञा दें या आदेश दें तो उसे प्राथमिकतासे पूर्ण करनेपर उस आज्ञामें निहित सन्तके सङ्कल्पके कारण, उस कृत्यको करने हेतु हमें शक्ति एवं ज्ञान स्वतः ही प्राप्त होते हैं । आज्ञापालन करनेके कारण मनोलय होता है एवं गुरुकृपा मिलती है ।

जब सन्त कुछ करने हेतु कहते हैं, तो हो सकता है कि उस समय हमें उसके पीछेका उद्देश्य समझमें न आए; किन्तु कुछ काल उपरान्त हमें वह समझमें आता है; इसलिए सन्तोंकी आज्ञाका अनावश्यक विश्लेषण करनेमें समय व्यर्थ न करें; अपितु उनकी आज्ञाका पालनकर उनके कृपापात्र बनें !

बहुत समय बीत जानेपर या त्वरित आज्ञापालन न करनेपर अथवा उस आज्ञाका पालन करनेसे अनेक बार साधकोंको उसका लाभ नहीं मिलता है; अतः अपनी बुद्धिका उपयोग उनके आदेशके पालन हेतु करें, उससे आपका कल्याण निश्चित ही होगा।

एक और महत्त्वपूर्ण बात बता दें कि सन्त या गुरुके एक भी आदेशका पालन आपको अध्यात्मकी विलक्षण अनुभूति दे सकता है, आपके असाध्य कष्टोंको सदैवके लिए समाप्त कर सकता है या आपको जीवनमुक्त भी कर सकता है, अर्थात आप इस भवबन्धनसे सदैवके लिए मुक्त हो सकते हैं। आजकल अनेक लोग सन्तोंके सामर्थ्यसे अनभिज्ञ होते हैं; इसलिए वे सन्तोंकी आज्ञाका पालन या तो करते नहीं हैं या अनमने मनसे मात्र करने हेतु करते हैं।

– (पू.) तनुजा ठाकुर, सम्पादक

विशेष लेख

वेदोंमें मांसभक्षणका निषेध है (भाग-४)

शङ्का ९ : वेदमें / वशावन्ध्या अर्थात वृद्ध गौ अथवा बैलको मारनेका विधान है ?

समाधान : शङ्काका कारण ऋग्वेद ८/४३/११ मन्त्रके अनुसार, वन्ध्या गौओंकी अग्निमें आहूति देनेका विधान बताया गया है। यह सर्वथा अशुद्ध है।

निघण्टु ३/३ के अनुसार, इस मन्त्रका वास्तविक अर्थ है कि 'जैसे महान सूर्य आदि भी जिसके (वशा) प्रलयकालमें अन्न व भोज्यके समान हो जाते हैं', इसका शतपथ ५/१/३ के अनुसार अर्थ है, 'पृथ्वी भी जिसके (वशा) अन्नके समान भोज्य है, ऐसे परमेश्वरकी नमस्कारपूर्वक स्तुतियोंसे सेवा करते हैं।'

वेदोंके विषयमें इस भ्रान्तिका मुख्य कारण वशा, उक्षा, ऋषभ आदि शब्दोंके अर्थ न समझ पाना है। यज्ञ प्रकरणमें उक्षा तथा वशा, दोनों शब्दोंके औषधिपरक अर्थका ग्रहण करना चाहिए, जिन्हें अग्निमें डाला जाता है। सायणाचार्य एवं मोनियर विलियम्सके अनुसार, 'उक्षा' शब्दके अर्थ सोम, सूर्य, ऋषभ नामक औषधि हैं।

'वशा' शब्दके अन्य अर्थ अथर्ववेद १/१०/१ के अनुसार, ईश्वरीय नियम तथा नियामक शक्ति हैं। शतपथ १/८/३/१५ के अनुसार, 'वशा'का अर्थ पृथ्वी भी है। अथर्ववेद २०/१०३/१५ के अनुसार, 'वशा'का अर्थ सन्तानको वशमें रखनेवाली उत्तम स्त्री भी है।

इस सत्यार्थको न समझकर, वेद मन्त्रोंका अनर्थ करना निन्दनीय है।

शङ्का १० : वेदादि धर्मग्रन्थोंमें 'माष' शब्दका उल्लेख है, जिसका अर्थ मांस खाना है।

समाधान : 'माष' शब्दका प्रयोग 'माषौदनम्'के रूपमें हुआ है। इसे परिवर्तितकर किसी मांसभक्षीने 'मांसौदनम्' अर्थ कर दिया है। यहां 'माष' एक दालके समान वर्णित है; इसलिए यहां 'मांस'का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

आयुर्वेद (सुश्रुत संहिता शरीर अध्याय २), गर्भवती स्त्रियोंके लिए मांसाहारको कठोरतासे मना करता है तथा

उत्तम सन्तान पाने हेतु 'माष' (दाल) सेवनको हितकारी कहता है। इससे क्या स्पष्ट होता है ? यही कि 'माष' शब्दसे तात्पर्य मांसाहार नहीं; अपितु दाल आदिके सेवनका आदेश है। तथापि यदि कोई 'माष'को 'मांस' ही कहना चाहे, तब भी 'मांस'को निरुक्त ४/१/३ के अनुसार, मनन साधक, बुद्धिवर्धक तथा मनको अच्छी लगनेवाली वस्तु, जैसे फलका गूदा, खीर आदि कहा गया है। प्राचीन ग्रन्थोंमें मांस अर्थात गूदा खानेके अनेक प्रमाण मिलते हैं, जैसे चरक संहिता देखें, इसमें आम्रमांसं (आमका गूदा), खजूरमांसं (खजूरका गूदा) इत्यादि हैं।

तैत्तरीय संहिता २/३२/८ में दही, मधु (शहद) तथा धानको मांस कहा गया है।

इससे यही सिद्ध होता है कि वेदादि शास्त्रोंमें जहां 'माष' शब्द आता है अथवा 'मांस'के रूपमें भी जिसका प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ दाल अथवा फलोंका मध्य भाग अर्थात गूदा ही है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं।

प्रेरक प्रसंग

राधारानीकी कृपा

राधारानीजीकी कृपाका एक अत्यन्त मनभावन प्रसङ्ग प्रस्तुत है-

तीन साधु एक अवसरपर यमुना किनारे यात्रा कर रहे थे।

उनमें जो तीसरे साधु थे, वह वृद्ध थे। उन्होंने कहा, "तुम सभी युवा हो, तुम भले ही जाओ; किन्तु हम तो इस गांवके बाहर इस मन्दिरमें आसन लगा कर यहीं रहेंगे।"

तदुपरान्त दो युवा साधु आगे बढ गए।

चलते-चलते सन्ध्या हो गई तो दोनों साधुओंने विचार किया, "अब बरसाना आ रहा है, राधारानीका गांव। क्या करें, कहां मांगें; किन्तु मांगना कहां ! हम तो राधारानीके अतिथि हैं, खिलाएंगी तो खा लेंगे अन्यथा मन्दिरमें आरतीके समय कहीं कुछ प्रसाद मिलेगा वही खाकर जल पी लेंगे।"

दोनों साधुओंने तो उपहासमें कहा था। वे बरसाना पहुंच गए। बरसानामें तो आरती हुई थी तथा मन्दिरमें उत्सव भी हुआ था।

साधु बोले, "मांगेगें तो नहीं, हम तो राधारानीके अतिथि हैं।" ऐसा कहकर दोनों साधु सो गए।

रातके ११ बजे मन्दिरके पुजारीको राधारानीने जगाकर कहा, "हमारे अतिथि भूखे हैं; किन्तु तुम सो रहे हो !"

"अरे भाई, अतिथि कौन हैं ?"

"दो साधु !"

पुजारीकी तो मानो चेतना ही लुप्तप्राय हो गई, पुजारी उठे तथा सोये हुए साधुओंको जगाकर बोले, "क्या आप राधारानीके अतिथि हैं ?"

साधु बोले "नहीं हम तो ऐसे ही हैं।"

पुजारीने कहा, "नहीं, आप बैठिए।" यह कहकर उनके लिए पत्तलें लाए तथा राधारानीके मन्दिरका जो श्रेष्ठतम उत्सवका प्रसाद था - लड्डू, रसगुल्ले, खीर इत्यादि, वह उनकी सेवामें प्रस्तुत किया। कुछ क्षण पश्चात साधुओंने कहा, "राधा रानी ! हमने तो उपहासमें कहा था, आपने तो वास्तवमें ही हमें अपना अतिथि बना लिया, मां ! हे राधे मैया !" दोनों साधु राधारानीजीका चिन्तन करते-करते सो गए तथा दोनों साधुओंको एक जैसा स्वप्न आया कि १२ वर्ष आयुकी राधारानी कहती हैं, "साधु बाबा, भोजन तो कर लिया आपने ?

तृप्त तो हो गए न ? क्षुधा तो मिट गई न ?"

साधु बोले, "हां !"

"भोजन अच्छा तो रहा ?"

साधु बोले, "हां !"

"भोजन, जल आपको सुखद लगा ?"

साधुओंने पुनः सकारात्मक उत्तर दिया।

राधारानीने पुनः प्रश्न किया, "कोई अन्य आवश्यकता है क्या ?"

साधु बोले, "नहीं-नहीं मैया।"

राधारानी बोलीं, "देखो, उस पुजारीने भयभीत होकर तुम्हें भोजन तो करा दिया; किन्तु मेरा पान-बीडेका प्रसाद देना उसे विस्मृत हो गया। लो, यह मैं पान-बीडा आपको देती हूं !"

ऐसा कहकर उन्होंने सिरहानेपर पान-बीडा रख दिया।

स्वप्नमें राधारानीद्वारा सिरहानेपर पान-बीडा रखता देखकर दोनों साधुओंकी आंखें खुल गईं।

देखा तो वास्तवमें दोनों साधुओंके सिरहानेपर पान-बीडा रखा है !

राधारानीकी कृपाका क्या कहना !

घरका वैद्य

खरबूजा (भाग-९)

*** उपदंशमें लाभकारी :** उपदंश (सिफलिस) एक यौन रोग है। इसके लिए ५ ग्राम खरबूजेके बीजोंको पानीमें घिस लें। इसमें २० बूंदें चन्दनका तेल मिला लें। इसका सेवन करनेसे (सिफलिस) उपदंशमें लाभ होता है।

*** ग्रीष्म ऋतूमें लू लगनेपर :** प्राय: ग्रीष्मकालमें लू लगनेकी समस्या होती है। लू लगनेपर खरबूजके बीजोंको पीसकर

मस्तकपर और पूरे शरीरपर लगाएं। इससे लू लगनेके कारण होनेवाली जलन, पीडा तथा ज्वर आदि समस्याएं ठीक होती हैं। इससे शरीरमें ठण्डक मिलती है।

* **'गुर्दे'के लिए :** पथरीकी समस्याको दूर करनेके लिए 'सिट्रिक' अम्ल लाभदायक होता है। खरबूजेमें 'साइट्रेट' और 'केल्शियम' पाया जाता है, जो 'आक्सोलेट-क्रिस्टल'को बढनेसे रोकनेका कार्य करता है। इससे पथरीका विकास रुक जाता है । जिन रोगियोंको मूत्र कम आता है, उन्हें 'साइट्रिक'युक्त फल अर्थात खरबूजा खाना चाहिए, इससे 'साइट्रस'की न्यूनता सन्तुलित की जा सकती है। खरबूजेमें पथरीको गलानेकी शक्ति होती है। खरबूजेके ५ से १० ग्राम बीजोंको पानीमें घिसकर सेवन करें। इससे 'गुर्दे'के कष्टसे लाभ मिलता है । इससे पथरी भी गलकर शरीरसे बाहर निकल जाती है। खरबूजा गुर्देकी स्वच्छता एवं शुद्धि भी करता है।

उत्तिष्ठ कौन्तेय

जम्मू-कश्मीरमें आक्रमणको 'चरमपन्थी' बतानेपर क्रोधित हुए हिन्दू

जम्मू-कश्मीरमें एक पूर्व विशेष 'पुलिस' अधिकारीके निवासपर आक्रमणकर आतङ्कियोंने उनकी हत्या कर दी। इस समाचारको लेकर २८ जून २०२१ सोमवारको ब्रिटेनकी राष्ट्रीय प्रसारण समाचार सेवाने इसे 'चरमपन्थी' आक्रमण बताते हुए इसे 'जस्टिफाई' करनेका प्रयास किया । 'चरमपन्थी'का अर्थ 'कट्टरवादी'से होता है, जो कि 'आतङ्कवादी'से पृथक है।

इस प्रकरणमें 'बीबीसी'ने अपने इस्लाम समर्थक तथा हिन्दू विरोधी पूर्वाग्रहको व्यक्त किया । उसने बर्बर

आतङ्कवादियोंको चरमपन्थी बताया । इसपर 'सोशल मीडिया'पर 'नेटिजन्स' 'बीबीसी'पर क्रोधित हुए और कहा कि आतङ्कीको आतङ्की ही कहा जाना चाहिए, चरमपन्थी नहीं।

आतङ्कियोंके सहृदय ऐसी समाचार वाहिनियोंपर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए । समाजको झूठ बोलनेवाले समाचार माध्यम नहीं, वरन लुटेरे कहे जाते हैं और 'बीबीसी'ने अपना यह नाम सार्थक किया है । भारत शासनसे प्रार्थना है कि ऐसी समाचार वाहिनियोंको बन्द करे। (२८.०६.२०२१)

****

शिक्षित राज्य है केरल; इसलिए 'आईएसआई'की 'भर्ती'का केन्द्र, 'डीजीपी'ने कहा, आतङ्कियोंको भी 'डॉक्टर-इंजीनियर'की आवश्यकता

केरलके पुलिस महानिदेशक 'डीजीपी' लोकनाथ बेहराने स्वीकार किया है कि राज्यके अनेक युवा आतङ्की सङ्गठनोंमें सम्मिलित हुए हैं । उन्होंने कहा कि केरलमें आतङ्कियोंने अपने सङ्गठनोंमें 'भर्ती'के लिए भूमि निर्मित कर ली है । उन्होंने कहा कि कट्टरपन्थ केरलमें एक बडी समस्या है और इसके निराकरणके लिए पुलिस अनेक प्रकारसे प्रयास कर रही है।

केरलमें 'आईएसआई'का प्रभाव बढना चिन्ताका विषय है । कट्टरपन्थियोंको इसमें 'भर्ती' किया जा रहा है । केरलके लोगोंको अपने सङ्गठनमें इसलिए 'भर्ती' करना चाहता है; क्योंकि यह एक उच्च-शिक्षित राज्य है और आतङ्की सङ्गठनोंको 'इंजीनियरों-डॉक्टरों'की भी आवश्यकता है।

आतङ्की सङ्गठनोंने इसलिए केरलको चुना है कि

वह एक शिक्षित राज्य है ! यह अत्यन्त हास्यास्पद तथ्य है। 'डीजीपी' सम्भवतः जिहादियोंकी जनसङ्ख्या, उनकी धार्मिक सीख और राज्य शासनद्वारा उनके समर्थनके विषयमें नहीं बोल सकते हैं, तभी वे इतना निराधार कारण प्रस्तुत कर रहे हैं। कारण जो भी हो, भारत शासनको जिहादके अन्तके लिए कार्य करना ही होगा; अन्यथा केरलके मार्गसे ही यह भारतको अपना ग्रास बना लेगा। (२८.०६.२०२१)

****

'ट्विटर'ने जम्मू-कश्मीरको भारतसे दिखाया बाहर, कार्यवाहीकी मांग

'ट्विटर'ने भारतीय मानचित्रसे जम्मू-कश्मीरको बाहर दिखाया है। 'टाइम्स नाऊ'ने अपने 'ट्वीट'पर यह जानकारी दी। 'ट्विटर'के 'ट्वीप लाइफ' 'सेक्शन'में जो मानचित्र दिख रहा है, उससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाखको भारतसे पृथक दिखाया गया है। 'ट्विटर'की यह चूक इस बार सबसे पहले 'ट्विटर यूजर' '@thvaranam'द्वारा पकडी गई है। 'ट्विटर'की यह चूक सामने आते ही 'सोशल मीडिया यूजर्स'ने तीव्र भर्त्सना की है। लोगोंने केन्द्रीय विधान मन्त्री सहित कई नेताओंको 'टैग'कर कडी कार्यवाहीकी मांग की है।

यह प्रथम बार नहीं है कि 'ट्विटर' भारतके भागको मानचित्रमें अनुचित ढंगसे प्रस्तुत कर रहा है। इससे पहले 'ट्विटर'ने लेहकी 'जियो लोकेशन' जम्मू कश्मीर, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ 'चाइना'में दिखाई थी। इस सम्बन्धमें १८ अक्तूबर २०२० को रक्षा विशेषज्ञ नितिन गोखलेने एक 'लाइव ब्रॉडकास्ट'के द्वारा दिखाया था कि कैसे 'ट्विटर' अपनी 'लोकेशन'में जम्मू-कश्मीरको चीनका भाग बता रहा था।

यदि 'ट्विटर'को पहले ही दण्डित किया गया होता, तो आज यह पुनः न होता। भारत शासन यदि अब भी इन्हें दण्डित नहीं करता है, तो इसका अर्थ स्पष्ट होगा कि हम देशके संवेदनशील प्रकरणोंको लेकर गम्भीर नहीं हैं।

****

'गूगल'ने दिखाया भारतका अनुचित मानचित्र, जम्मू कश्मीर और लद्दाखको हटाया

'हदिग्गज सर्च इंजन गूगल' भी अब 'माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर'की राहपर चल पडा है। 'गूगल'ने अपने 'ट्रेंड्स' भागमें भारतका अनुचित मानचित्र दिखाया, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाखके भागोंको लुप्त कर दिया गया है। यदि आप 'गूगल'के 'ट्रेंड सेक्शन'में जाएंगे और भारतके विद्यमान 'ऑनलाइन सर्च ट्रेंड्स'को देखेंगे, तो पाएंगे कि उसी 'जालस्थल'पर जो भारतका मानचित्र है, वो अनुचित है!

'सोशल मीडिया' लोगोंने 'गूगल'को भारतका अनुचित मानचित्र दिखाए जानेपर आपत्ति प्रकट की और उसे मानचित्र शीघ्रातिशीघ्र सुधारनेका परामर्श दिया। लोगोंने इसी मध्य भारत शासनद्वारा डाले गए मानचित्रको भी साझा किया। भारत शासनने जम्मू-कश्मीर और लद्दाखको केन्द्र शासित प्रदेश घोषित किए जानेके पश्चात दोनोंका स्पष्ट मानचित्र अनवरत कर दिया था, तत्पश्चात भी 'गूगल' और 'ट्विटर' जैसे 'मंच' इन्हें भारतका भाग नहीं दिखा रहे हैं।

ये विदेशी सङ्गठन सदा ही भारतके विरोधमें कार्य करते हैं, अब भी यही कर रहे हैं। इन्हें बताए जानेके पश्चात भी अपनी चूकका भान नहीं है तथा उसे सुधारनेका प्रयास नहीं कर रहे हैं। भारत शासनको इसपर कडा विरोध प्रकट करना चाहिए। (२९.०६.२०२१)

मौलवीके प्रकरणमें हिन्दू पुजारीका चित्र साझा करनेपर 'न्यूयॉर्क पोस्ट'के विरुद्ध हुआ विरोध

उत्तर प्रदेशके मुजफ्फरनगर जनपदमें एक मौलवीको तृतीय निकाहकी इच्छा प्राणघातक सिद्ध हुई । समाचारके अनुसार, अपने तृतीय 'निकाह'की इच्छाको लेकर मौलवीका अपनी प्रथम पत्नीसे विवाद हो गया । इसी विवादके चलते पत्नीने मौलवीके गुप्ताङ्गोंपर प्रहारकर कर दिया, जिसके कारण मौलवीकी मृत्यु हो गई। 'पुलिस'ने पत्नी हाजराको बन्दी बना लिया है; परन्तु ५७ वर्षीय मौलवी वकील अहमदकी हत्याके प्रकरणको अमेरिकाके 'मीडिया' संस्थान 'न्यूयॉर्क पोस्ट'ने समाचारके माध्यमसे इस प्रकार प्रस्तुत किया, जिससे लोगोंको लगे कि तृतीय 'निकाह'की इच्छा रखनेवाला व्यक्ति हिन्दू पुजारी था । 'न्यूयॉर्क पोस्ट'ने मौलवीके स्थानपर 'द होली मैन ऑफ इंडिया' तथा 'इंडियन प्रीस्ट' कहकर उसे सम्बोधित किया तथा चित्र भी भारतीय पुजारीका प्रयोग किया । समाचार साझा होनेपर देहलीके पूर्व मन्त्री कपिल मिश्रने इसका विरोध किया तथा समाचारका 'स्क्रीनशॉट'भी साझा किया । अन्य धर्मप्रेमियोंने भी इसपर अपना कडा विरोध प्रकट किया । उसके पश्चात 'न्यूयॉर्क पोस्ट'ने त्वरित कपिल मिश्रके 'ट्वीट'को 'डिलीट' करते हुए चित्रमें परिवर्तन कर दिया।

हिन्दू देवी-देवताओंका अपमान तथा हिन्दू साधु-सन्तों व पुजारियोंके विरुद्ध विषवमन करना, यह विदेशी 'मीडिया'का चलन बन चुका था; परन्तु अब जागरुक हिन्दू अपने सङ्गठनकी शक्तिद्वारा इनका विरोध करते हुए इन्हें उत्तर दे रहा है। यही आनेवाले हिन्दूराष्ट्रका शंखनाद है।

पोलैंडके गिरिजाघरोंमें अबतक ९९३ बच्चोंका यौन शोषण, ६२८ पादरियोंपर आरोप, लज्जित 'आर्कबिशप' बोले, क्षमा करें

सोमवार, २८ जून २०२१ को अल्पवयीन बालक, बालिकाओंके शोषण सम्बन्धित जारी सूचीके अनुसार १९५८ से २०२० तक पोलैंडमें लगभग २९२ पादरियोंने ३०० बालक, बालिकाओंका यौन शोषण किया । इनमेंसे १४४ घटनाओंके सत्यताकी पुष्टि वेटिकनने की है । ३६८ मेंसे १८६ घटनाओंकी जांच चल रही है । वेटिकनने ३८ आरोपोंको असत्य माना है। इस प्रकारकी एक सूची २०१९ में भी जारी की गई थी।

इससे पूर्व गिरिजाघरसे जो प्रथम सूची आई थी, उसमें बताया गया था कि १९९०-२०१८ के मध्य ३८२ पादरियों द्वारा ६२५ अल्पवयस्कोंका यौन शोषण किया गया । कुछ पादरियोंके नाम तो दोनों सूचियोंमें लिखे हैं।

उल्लेखनीय है कि पोलैंड एक ईसाई राष्ट्र है, जहां पादरियोंको विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं। १९८९ के पूर्वतक वहां कम्युनिस्ट शासन था । गिरिजाघरसे 'कम्युनिस्ट' विरोधी गतिविधियां होती थीं; अतः समाजमें पादरियोंको राष्ट्रवादी माना जाता रहा है।

ईसाइयोंकी दो मुख्य शाखाएं हैं। प्रोटेस्टेन्ट सुधारवादी और कैथोलिक रूढिवादी होते हैं। कैथोलिक धर्मगुरु पादरी अथवा ननको विवाहकी अनुमति नहीं होती।

बिना आध्यात्मिक पात्रताके व इन्द्रियोंपर योग्य नियन्त्रणके इन्हें जब धर्मगुरु बना दिया जाता है, तो परिणाम तो यह होना ही है। जब सिखानेवाले ऐसे होते हैं, तो क्या ही धर्म सिखा रहे होंगे ? विचार करें ! (२९.०६.२०२१)

फरीदाबादमें ‘लिफ्ट’ देनेके 'बहाने' अवयस्क बालिकाका यौन शोषण, ‘पोक्सो’के अन्तर्गत २ जिहादी बनाए गए बन्दी

फरीदाबादके बल्लभगढ क्षेत्रकी सुभाष ‘कॉलोनी’में शनिवार, २६ जूनको जिहादी आरिफ और शहजादने एक १५ वर्षीय अवयस्क बालिकाके साथ अभद्रता की एवं यौन शोषण करनेका भी प्रयास किया।

बालिकाने 'पुलिस'को बताया कि उसके माता-पिताकी मृत्यु हो चुकी है। जब वह अपनी दादीकी बहनके पास जा रही थी, तो उसे पीछेसे आकर दो लडकोंने रोका और उससे बातें करना आरम्भ कर दिया। दोनों लडकोंका उनके क्षेत्रमें आना-जाना रहता है, इस कारण बच्चीने उनका अभिज्ञान (पहचान) कर लिया। दोनों उसे वाहनपर बैठाकर आगे छोडनेके 'बहाने' ‘सैक्टर- ६२'की ओर जंगलमें ले जाने लगे, तो बच्चीद्वारा विरोध किया गया, जिसके पश्चात उनमेंसे एकने बच्चीका मुख बन्दकर उसे मौन करा दिया। जंगलमें ले जानेके पश्चात उन्होंने बच्चीके साथ बलात्कार करनेका प्रयास किया। घटनास्थलपर 'पुलिस'का वाहन आनेके कारण दोनों सहम गए और उन्होंने बच्चीको छोड दिया। पुलिसद्वारा ‘पॉक्सो एक्ट’के अन्तर्गत परिवाद प्रविष्ट होनेके पश्चात दोनो आरोपियोंको बन्दी बना लिया गया है। क्षेत्रके निवासियों एवं सङ्गठनोंकी मांग है कि किसी भी आधारपर दोषियोंको ‘जमानत’ प्रदान न की जाए।

भारतके प्रत्येक क्षेत्रमें जिहादियोंके दुष्कर्म बढते ही जा रहे हैं। प्रशासनद्वारा कठोर कार्यवाही करते हुए उचित दण्ड न देना भी इसका कारण रहा है। इन्हें त्वरित ‘जमानत’ मिल जाना और अन्तमें उचित दण्ड न मिलना

भी मुख्य कारण है और सभी हिन्दू माता-पिताको अपने बच्चोंको इनसे दूरी बनाने हेतु शिक्षित करना चाहिए।

****

'सीपीएम'की महिला कार्यकर्तासे दलके ही २ नेताओंने कई बार किया दुष्कर्म, केरल 'पुलिस'में परिवाद, सुरक्षाकी भी मांग

केरलके कोझीकोड जनपदमें 'पुलिस'ने 'सीपीएम'के दो नेताओंके विरुद्ध दुष्कर्मका प्रकरण प्रविष्ट किया है। आरोप लगानेवाली महिला उसी दलकी शाखा समितिकी सदस्या है। पहला आरोपी पुलुल्ला परमबथ बाबुराज 'सीपीएम' मुल्लियेरी शाखाका सचिव है, जबकि दूसरा आरोपी टीपी लिजीश दलके 'यूथ विंग डीवाईएफआई'का पथियाराक्कारा क्षेत्रका सचिव है। प्रकरण सामने आनेके पश्चात 'सीपीएम'ने दोनों नेताओंको दलसे निकाल दिया है।

आरोप लगानेवाली महिला विवाहित है और दो बच्चोंकी मां है। महिलाने अपने परिवादमें कहा है कि बाबुराजने तीन माह पूर्व मारनेकी धमकी देकर दुष्कर्म किया था। उसके पश्चात घटनाके विषयमें महिलाके पति और स्थानीय लोगोंको बतानेकी धमकी देते हुए वह निरन्तर भयादोहन (ब्लैकमेल) करता रहा और कई बार दुष्कर्म किया। इसके पश्चात लजीशने दोनोंके सम्बन्धोंको सार्वजनिक करनेकी धमकी देते हुए दुष्कर्म किया। इससे आहत (परेशान) होकर पीडित महिलाने वडकाराके पुलिस निरीक्षकसे सम्पर्क किया और घटनाके विषयमें परिवाद प्रविष्ट किया। महिलाने अपने प्राणोंपर सङ्कट बताते हुए पुलिससे सुरक्षाकी मांग भी की है।

धर्मविहीन वामपन्थी दलोंमें नित्य ही महिलाओंसे

दुष्कर्मके प्रकरण हो रहे हैं और ये दल ऊपर-ऊपरसे तो नेताओंको निकाल देते हैं; परन्तु उन्हें दण्ड न मिले, यह भी सुनिश्चित करते हैं । ऐसे दल राजनीतिके नामपर कलङ्क मात्र हैं और इनका अतः ही भारतके हितमें है और यह तभी हो सकता है, जब हिन्दू एकजुट हों वह निर्णय लें कि ऐसे दलोंको सत्तामें नहीं आने देंगे । (२७.०६.२०२१)

****

५० वर्षके इस्माइलने ३५ वर्षका बताकर युवतीको विवाहके लिए बुलाया 'होटल', बलात्कारके पश्चात भागा मुंबई

मध्य प्रदेशकी राजधानी भोपालमें एक व्यक्तिद्वारा विवाहके नामपर दुष्कर्म करनेका प्रकरण सामने आया है । एक 'मेट्रोमोनियल साइट'के माध्यमसे हुई इस भेंटके पश्चात ५० वर्षीय व्यक्तिने विवाहके नामपर लडकीका बलात्कार किया । इसके पश्चात भी लडकी उस व्यक्तिसे विवाहके लिए कहती रही और इस प्रकार ९ माह व्यतीत हो गए । जब व्यक्ति विवाहके लिए सिद्ध (तैयार) नहीं हुआ, तो लडकीने सोमवार, २८ जूनको कोहेफिजा थानेमें मुंबई निवासी इस व्यक्तिके विरुद्ध प्रकरण प्रविष्ट कराया है ।

पूछताछमें लडकीने बताया कि पिछले वर्ष अगस्तमें 'मेट्रोमोनियल साइट'पर इस्माइल सैय्यदसे मित्रता हुई । लडकीने बताया कि दोनोंके मध्य वार्ता होने लगी और उसके पश्चात १५ सितम्बरको दोनोंका विवाह होना निर्धारित हुआ । लडकीके अनुसार, मुंबईके मलाडका रहनेवाला इस्माइल स्वयंको व्यापारी बताता था और उसने अपनी आयुको ३५ वर्ष लिखा था । लडकीने बताया कि वह भी ३१ वर्षकी है और विदिशामें चाकरी (नौकरी) करती है । मैं उसके बुलानेपर

'होटल' नूर-उस-सबाह पहुंच गई । जब उससे विवाहके लिए पूछा तो वह बार-बार कहता रहा कि 'काजी' यहीं आएंगे और रात्रि हो गई । इसके पश्चात जब बहुत रात्रि हो गई और 'काजी' नहीं आए तो उसने मुझे कहा यहीं रुक जाओ ।

कहां इस्लाम, जिसमें जिहादियोंमें बलात्कारी प्रवृत्ति जन्मजात होती है और महिला सामने दिखते ही जिहादी न तो तो उसका धर्म देखते है और न ही आयु । ५० वर्षका अधेड व्यक्ति महिलाओंका जीवन नष्ट कर रहा है, यह प्रेरणा उसे मौलवियोंके द्वारा बाल्यकालसे पिलाई गई जिहादी घुट्टीसे ही मिलती है । ऐसे जिहादियोंसे सभीने सावधान रहना चाहिए; क्योंकि ये एक नहीं, अनेक ऐसी युवतियोंका जीवन नष्ट कर सकते हैं । (२९.०६.२०२१)

****

बलपूर्वक धर्मान्तरणपर जफर सरेशवालाका असत्य, 'ट्वीट'कर प्रकरण ढकनेका प्रयास विफल

जम्मू-कश्मीरमें सिख लडकियोंके बलपूर्वक धर्म परिवर्तनका प्रकरण सामने आया है । इसी प्रकरणमें 'मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी'के पूर्व कुलपति (चांसलर) और व्यवसायी (बिजनेसमैन) जफर सरेशवालापर कट्टरपन्थियोंके कुकर्मोंको ढकनेका आरोप लगा है । सरेशवालाने सिख लडकियोंके धर्मान्तरणपर 'ट्वीट'कर कहा, “सिख लडकी २७ वर्षकी है, मुसलमान लडका ३७ वर्षका है और वे गत ७ वर्षोंसे प्यारमें थे । 'मजिस्ट्रेट'के सामने न्यायालयमें लडकीने अपना प्रेम प्रकट किया और उसने अपनी इच्छासे धर्म परिवर्तन किया है । अब विष फैलानेवाले घर जाएं और विश्राम करें ।” सरेशवालाका यह प्रपञ्च अधिक समय नहीं चल सका । लेखक अमन बालीने अपने 'ट्वीट'में

जफर सरेशवालाद्वारा किए गए 'दावों'का खण्डन कर दिया। बालीने जफरके 'दावों'को असत्य सिद्ध किया और कहा कि वह दो सिख लडकियोंके कथित बलपूर्वक धर्मान्तरणपरको 'व्हाइटवॉश' करनेके लिए दो पृथक प्रकरणोंको परस्पर जोड रहे हैं।

बालीने 'ट्वीट' किया, "झूठ, यह सत्य नहीं है। दो प्रकरण हैं। रैनवारी प्रकरणमें लडकीकी आयु १८ वर्ष है और वह मानसिक रूपसे अस्थिर है। मेहजूर नगरवाले प्रकरणमें लडकी ३२ वर्षकी है। अपराधपर 'पर्दा' डालनेकी यह कैसी 'कोशिश' है।"

ज्ञातव्य है कि जम्मू-कश्मीरमें माह २६ जून, २०२१ को दो सिख लडकियोंके अपहरण और बलपूर्वक धर्मान्तरणका प्रकरण सामने आया था। प्रतिवेदनके (रिपोर्ट्स) अनुसार, कश्मीरके बडगामकी रहनेवाली एक १८ वर्षीय सिख लडकीको बहला-फुसलाकर उससे इस्लाम स्वीकार करवा लिया गया। इसी शृङ्खलामें द्वितीय प्रकरण श्रीनगरके महजूरका सामने आया, जिसमें सिख लडकी अपने मुसलमान मित्रके साथ एक कार्यक्रममें सम्मिलित हुई। वहांसे कथित रूपसे उसका अपहरणकर उसका विवाह एक मुसलमानसे करा दिया गया। लडकी वयस्क थी।

जिहादी समाजमें कितने ही उच्चे स्थानपर पदस्थ क्यों न हो, वे अन्य जिहादियोंके कुकृत्योंके संरक्षणमें कुछ भी करने तत्पर रहते हैं। पीडितोंके प्रति न्याय व्यवस्था शीघ्र न्याय करे। आरोपियों व उनके संरक्षकोंको न केवल शीघ्र ही उचित दण्ड देना चाहिए; अपितु सरेशवालाके 'ट्वीटर' खातेपर असत्य कथन साझा करनेपर उनके खातेको निलम्बितकर कठोर आर्थिक व सार्वजनिक

दण्डका प्रावधान होना चाहिए, तभी ऐसे विषैले लोग विषवमन छोडेंगे। (२९.०६.२०२१)

****

सर्वोच्च न्यायालयने नूंहमें हिन्दुओंको सुरक्षा देनेवाले आवेदनको किया अस्वीकृत, 'मीडिया' विवरणपर सुनवाई नहीं

सर्वोच्च न्यायालयने २८ जून २०२१, सोमवारको हरियाणाके मुसलमान बहुल नूंह जनपदमें (मेवातमें) हिन्दुओंको सुरक्षा देनेकी मांगवाले आवेदनको अस्वीकृत कर दिया है । अधिवक्ता (वकील) विष्णुशंकर जैनके माध्यमसे अधिवक्ताओं और 'एक्टिविस्ट'के एक समूहने यह आवेदन प्रविष्ट किया था। आवेदनकर्ताने इसे कट्टरपन्थी सङ्गठनोंका षड्यन्त्र बताया था।

विवरणके अनुसार, आवेदनमें कहा गया है, "वहां कई हिन्दुओंको बलात इस्लाम स्वीकार करवाया गया है । कई महिलाओं व लडकियोंका अपहरण और उनका शीलभंग (बलात्कार) किया गया है । यहां हिन्दू महिलाएं पूर्णरूपसे सुरक्षित नहीं हैं । मुसलमानोंने अनुसूचित जातिके लोगोंपर गम्भीर अत्याचार किए हैं।"

आवेदनमें कहा गया है कि नूंह जनपदमें 'पुलिस', प्रशासन और प्रदेश शासन वहां हिन्दुओंके जीवन और उनकी स्वतन्त्रताको स्थिर रखनेमें पूर्ण रूपसे असफल सिद्ध हो रहे हैं। आवेदनमें 'दावा' किया गया है कि नूंहमें वर्ष २०११ में २० प्रतिशत हिन्दू थे; परन्तु अब ये घटकर १०-११ प्रतिशत रह गए हैं । वहीं 'तब्लीगी जमात'के संरक्षणमें 'इस्लाम'को माननेवालोंकी जनसङ्ख्या तीव्रतासे वृद्धि हुई है।

आवेदनकर्ताओंने सर्वोच्च न्यायालयमें कहा कि

हरियाणाका नूंह जनपद 'एंटी नेशनल' तत्त्वोंसे प्रभावित हो चुका है और वहांका हिन्दू समुदाय 'जानवरों'की भांति जीवन जीनेके लिए विवश है । न्यायाधीश एन वी रमणाने कहा, "हम समाचारपत्रके समाचारोंके आधारपर इस आवेदनपर सुनवाई नहीं कर सकते हैं ।" न्यायालयने 'एडिशनल एफिडेविड'के बारे पूछताछके पश्चात हिन्दुओंकी सुरक्षाकी मांगवाले आवेदनको अस्वीकृत कर दिया ।

राजस्थान और हरियाणामें आनेवाला मेवात क्षेत्र लम्बे समयसे अपराधका केन्द्र रहा है । यह सङ्गठित अपराध, पशु 'तस्करी' और अवैध रोहिंग्याओंका केन्द्र रहा है ।

जिहादी धीरे-धीरे गांव, जनपद और नगरोंमें अपनी जनसङ्ख्या वृद्धि करनेमें लगे हैं और जहां ये एक बार मुसलमान बहुल हो जाते हैं, वहां हिन्दू समाजका रहना दुष्कर हो जाता है । हिन्दुओंको यह समझना चाहिए कि परिस्थिति विकट होती जा रही है । ऐसेमें न्यायालयके न्यायाधीश हो अथवा कोई प्रशासनका अधिकारी व नेता हो, कोई भी हिन्दुओंकी सहायता नहीं कर सकता; अतः इस परिस्थितिको परिवर्तित करना है, तो हिन्दू राष्ट्र ही चाहिए; अतः उस हेतु प्रयासरत हों ! (२९.०६.२०२१)

****

वैदिक उपासना पीठद्वारा कुछ आवश्यक सूचनाएं

१. वैदिक उपासना पीठद्वारा बच्चोंको सुसंस्कारित करने हेतु एवं धर्म व साधना सम्बन्धित बातें सरल भाषामें बताने हेतु 'ऑनलाइन' बालसंस्कारवर्गका शुभारम्भ हो चुका है । यह वर्ग प्रत्येक रविवार, त्योहारोंको एवं पाठशालाके अवकाशके दिन प्रातः १० से १०:४५ तक होता है । इस वर्गमें ७ वर्षसे १५

वर्षकी आयुतकके बच्चे सहभागी हो सकते हैं । यदि आप अपने बच्चोंको इसमें सम्मिलित करने हेतु इच्छुक हैं तो पञ्जीकरण हेतु कृपया 9717492523, 9999670915 के व्हाट्सऐप्पपर सन्देशद्वारा सम्पर्क करें।

२. वैदिक उपासना पीठके लेखनको नियमित पढनेवाले पाठकोंके लिए निःशुल्क ऑनलाइन सत्सङ्ग आरम्भ किया जा चुका है।

आनेवाले सत्संगका विषय व समय निम्नलिखित है :

सङ्ख्या सीमित होनेके कारणकृपया अपना पञ्जीकरणयथाशीघ्र कराएं । इस हेतु ९९९९६७०९१५ (9999670915) या ९७१७४९२५२३ (9717492523) के व्हाट्सएप्पपर अपना सन्देश भेजें । कृपया पञ्जीकरण हेतु फोन न करें।

अगले कुछ सत्सङ्गोंकी पूर्व सूचना :

अ. जन्मदिन मनानेकी उचित पद्धति - २ जुलाई, रात्रि ९:०० बजे

आ. भोजन एवं पेय पदार्थोंके आध्यात्मिक प्रभाव - ६ जुलाई, रात्रि ९:०० बजे

इ. दूरदर्शन एवं सिनेमाके आध्यात्मिक प्रभाव - १० जुलाई, रात्रि ९:०० बजे

ई. अध्यात्मका मनुष्य जीवनमें महत्त्व - १४ जुलाई, रात्रि ९:०० बजे

३. वैदिक उपासना पीठद्वारा प्रत्येक दिवस भारतीय समय अनुसार प्रातः, अपरान्ह एवं रात्रिमें 'ऑनलाइन सामूहिक नामजप'का आयोजन होता है, जिसमें साधना हेतु मार्गदर्शन भी दिया जाएगा, साथ ही आपको समय-समयपर 'ऑनलाइन

सत्सङ्ग'के माध्यमसे वैयक्तिक स्तरपर भी साधनाके उत्तरोत्तर चरणमें जाने हेतु मार्गदर्शन दिया जाता है, यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमें ९९९९६७०९१५ (9999670915) या ९७१७४९२५२३ (9717492523) पर "मुझे सामूहिक नामजप गुटमें जोडें", यह व्हाट्सऐप्प सन्देश भेजें !

४. जो भी व्यक्ति वैदिक उपासना पीठके तत्त्वावधानमें अग्निहोत्र सीखना चाहते हैं वे ९९९९६७०९१५ के व्हाट्सऐप्पपर अपना सन्देश इसप्रकार भेजें ,'हमें कृपया अग्निहोत्र गुटमें सम्मिलित करें।'

५. कोरोना जैसे संक्रामक रोग एवं भविष्यकी आपातकालकी तीव्रताको ध्यानमें रखते हुए वैदिक उपासना पीठद्वार संक्षिप्तदैनिक हवन कैसे कर सकते हैं ?, इस विषयमें १५ अगस्तसे एक नूतन उपक्रम आरम्भ किया जा रहा है । इसमें अग्निहोत्र समान इसे सूर्योदय या सूर्यास्तके समय ही करनेकी मर्यादा नहीं होगी, इसे आप एक समय या सप्ताहमें जितनी बार चाहे, कर सकते हैं । यदि आप सीखना चाहते हैं तो ९९९९६७०९१५ पर हमें इस प्रकार सन्देश भेजें, “हम दैनिक हवनकी सरल विधि सीखना चाहते हैं, कृपया हमें यथोचित गुटमें जोडें।”

६. यदि आप संस्कृत सीखने हेतु इच्छुक हैं; किन्तु आपको आस-पास कहीं जाकर इसे सीखनेका समय नहीं मिल रहा है, तो आप घर बैठे इस दैवी भाषाको सीख सकते हैं ! उपासनाकी ओरसे यह ‘ऑनलाइन’ संस्कृत वर्ग साप्ताहिक होता है ! जो भी इस भाषाको सीखना चाहते हैं, वे हमें

९३५६७६६२२१ (9356766221) सम्पर्क क्रमांकपर सूचना दें !

७. इंदौर स्थित उपासना प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र हेतु एक पूर्णकालिक आयुर्वेदिक चिकित्सककी आवश्यकता है, जिन्हें वैकल्पिक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियोंका भी अनुभव हो, योग्य व्यक्ति ९७१७४९२५२३ इस क्रमांकपर सम्पर्क करें।

वैदिक उपासना पीठ एक स्वतन्त्र संस्था है । इसके प्रेरणास्रोत सनातन संस्थाके संस्थापक परात्पर गुरु डॉ. जयंत आठवले हैं, जिनसे इस संस्थाकी संस्थापिकाने सर्व ज्ञान प्राप्त किया है; इसीलिए कृतज्ञतास्वरूप वैदिक उपासना पीठ, सनातन संस्थाके प्रकाशनको प्रसारित करती है । यदि आप सनातन संस्थासे जुडे हैं तो आप उसीके माध्यमसे साधना करें व उसीमें अपना अर्पण करें, यह विनम्र प्रार्थना है ।

- विश्वस्त, वैदिक उपासना पीठ

प्रकाशक : Vedic Upasana Peeth
जालस्थल : www.vedicupasanapeeth.org
ईमेल : upasanawsp@gmail.com
सम्पर्क : + 91 9717492523 / 9999670915